DELHI VIDHAN SABHA
BULLETIN PART – II

(General information regarding Legislative & other matters)

Thursday, 29 November, 2001/ Kartik 08, 1923 (SAKA)

No. 175

It has been brought to the notice of the Hon'ble Speaker that many of the questions asked by the Hon'ble Members get admitted even though they do not strictly satisfy the admissibility conditions of questions.

With a view to ensure that their questions are not declared inadmissible, hon'ble members are requested to carefully go through the conditions governing admissibility of questions. These conditions earlier circulated vide Bulletin dated 25 October,2001 are again being reproduced for their convenience.

Admissibility of Questions,

The right to ask a question shall be governed by the following conditions, namely-

(i) it shall not bring in any name or statement not strictly necessary to make the question intelligible,

(ii) if it contains a statement by the member, the member asking it shall himself be responsible for the accuracy of the statement,

(iii) it shall not be excessively lengthy,

(iv) it shall not contain arguments, inferences, ironical or offensive expressions, imputations, epithets or defamatory statements,

(v) it shall not be asked for an expression of opinion or for the solution of a legal question, or a hypothetical proposition,

(vi) it shall not refer to the character or conduct of any person except in his official or public capacity, nor relate to individual cases, unless a matter of principle is involved,

(vii) it shall not repeat in the same session in substance questions already answered or to which an answer has been refused,

(viii) it shall not ask for information which is available in accessible documents or in ordinary works of reference,

(ix) it shall not ask for information on a matter which is under adjudication by a Court of Law having jurisdiction in any part of India,

(x) it shall not refer to the conduct of any judge or a Court of Law having jurisdiction in any part of India in relation to his or its judicial functions,

(xi) it shall not make or imply a charge of a personal character,

(xii) it shall not ask for information on matters of limited importance or on vague or meaningless matters, nor information of too many details,

(xiii) it shall not relate to day-to-day administration of local bodies or other semi-autonomous bodies. The Speaker may, however, allow questions which arise out of their relationship with the Government or relate to breaches of law or rules or to important matters of public interest,

(xiv) it shall not refer to debates in the current session,

(xv) it shall not criticize decisions of the House,

(xvi) it shall not seek information about matters, which in their nature are secret, such as, decision on Proceedings of the Council of Ministers, advise given to the Lieutenant Governor by Law Officers and other similar subjects,

(xvii) it shall not deal with a matter before a Committee or with matters within the jurisdiction of the Chairman of a Committee or the authorities of the House,

(xviii) it shall not deal with a matter which is within the exclusive jurisdiction of the Speaker,

(xix) it shall not relate to statement made by a private individual or a non-official body,

(xx) it shall not reflect on the character or conduct of those persons whose conduct may only be challenged on a substantive motion,

(xxi) it shall not raise questions of policy too large to be dealt with in the limits of an answer to a question,

(xxii) it shall primarily relate to one department,

(xxiii) in matters which are, or have been, the subject of correspondence between the Central Government and the Government, no question shall be asked except as to matters of fact and the answer shall be confined to a statement of facts,

(xxiv) it shall not enquire about matters pending before any statutory tribunal or statutory authority performing any judicial or quasi-judicial functions or any Commission, or Court of Inquiry appointed to enquire into or investigate any matters, but may refer to matters concerned with procedure or scope or stage of inquiry, if it is not likely to prejudice the consideration of the matter by the Tribunal, statutory authority, Commission or Court of Enquiry.

HON'BLE MEMBERS ARE REQUESTED KINDLY TO KEEP THE AFORESAID ADMISSIBILITY CONDITIONS IN MIND WHILE DRAFTING NOTICES OF THEIR QUESTIONS.

S.K.SHARMA
SECRETARY

दिल्ली विधान सभा
समाचार भाग-II

(विधायी एवं अन्य मामलों से संबंधी सामान्य जानकारी)

बृहस्पतिवार, 29 नवम्बर,2001/कार्तिक 8,1923 (शक)

क्रमांक : 175

माननीय अध्यक्ष महोदय के ध्यान में यह लाया गया है कि माननीय सदस्यों द्वारा पूछे गए कई ऐसे प्रश्नों को स्वीकृत किया जाता है यद्यपि वे प्रश्नों की स्वीकार्यता की शर्तों को भली प्रकार से पूरा नहीं करते हैं ।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनके प्रश्न अस्वीकृत न हों, माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि प्रश्नों की ग्राहयता के संबंध में निर्धारित किये गये मानदण्डों का पूर्णतया ध्यान रखें । प्रश्नों के संबंध में निर्धारित मानदंडों को दिनांक 25 अक्टूबर,2001 को जारी समाचार भाग-1 के द्वारा परिचालित कर दिया गया था और पुनः माननीय सदस्यों की सुविधा के लिये भेजा जा रहा है ।

31. प्रश्नों की ग्राह्यता

प्रश्न पूछने का अधिकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्

(i) उसमें कोई ऐसा नाम या कथन नहीं होगा जो प्रश्न को सुबोध बनाने के लिए सर्वथा आवश्यक न हो,

(ii) यदि उसमें सदस्या द्वारा कोई कथन दिया गया हो तो प्रश्नकर्ता सदस्य को उस विवरण की परिशुद्धता के लिए स्वयं उत्तरदायी होना पड़ेगा,

(iii) वह अत्यधिक लम्बा नहीं हो,

(iv) उसमें प्रतर्क, अनुमान व्यंग्यात्मक पद, अभ्यारोप विशेषण या मान हानिकारक कथन नहीं होंगे,

(v) वह राय प्रकट करने या विधि संबंधी प्रश्न या किसी काल्पनिक प्रस्थापना के समाधान के लिए नहीं पूछा जाएगा,

(vi) उसमें किसी व्यक्ति के सरकारी अथवा सार्वजनिक पद के अतिरिक्त उसके चरित्र या आचरण का उल्लेख नहीं होगा तथा व्यक्तिगत प्रकरणों का निर्देश भी न होगा, जब तक कि कोई सिद्धांत का विषय अन्तर्निहित न हो,

(vii) उसमें ऐसे प्रश्नों की तत्वत: पुनरावृत्ति नहीं की जायेगी जिनके उत्तर उसी सत्र में पहले दिए जा चुके हों या जिनका उत्तर देने से इंकार कर दिया गया हो,

(viii) उसमें ऐसी सूचना नहीं मांगी जायेगी जो प्राप्त दस्तावेजों अथवा सामान्य निर्देश ग्रंथों में उपलब्ध हो,

(ix) उसमें किसी ऐसे विषय के संबंध में सूचना नहीं मांगी जायेगी जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के विचाराधीन हो,

(x) उसमें किसी न्यायाधीश या न्यायालय के, जिसका भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार हो, आचरण के विषय में किसी ऐसी बात का निर्देश नहीं होगा, जो उसके न्यायिक कृत्यों से संबद्ध हो,

(xi) उसमें व्यक्तिगत रुप का दोषारोपण नहीं किया जायेगा और न वह दोषारोपण ध्वनित होगा,

(xii) उसमें सीमित महत्व का, अस्पष्ट अथवा निरर्थक विषयों पर अथवा बहुत ब्यौरे की जानकारी नहीं मांगी जायेगी,

(xiii) उसका स्थानीय निकायों अथवा अन्य अर्द्ध-स्वायत्त निकायों के दैनिक प्रशासन से कोई संबंध नहीं होगा । किन्तु अध्यक्ष ऐसे प्रश्नों को स्वीकृत कर सकेंगे जो उनके और शासन के संबंध में उत्पन्न होते हों या जो विधि या नियमों के भंग होने से सम्बद्ध हों या सार्वजनिक हित के महत्वपूर्ण विषयों से संबद्ध रखते हों,

(xiv) उसमें वर्तमान सत्र में हुए वाद-विवाद का निर्देश नहीं होगा,

(xv) वह सदन के विनिश्चयों की आलोचना नहीं करेगा,

(xvi) उसमें ऐसे विषयों के संबंध में सूचना नहीं मांगी जायेगी, जो गोपनीय प्रकृति के हों जैसे मंत्रि-परिषद् के विनिश्चय अथवा कार्यवाहियां, विधि अधिकारियों द्वारा उपराज्यपाल को दी गई मंत्रणा तथा अन्य तत्सम विषय,

(xvii) वह किसी समिति के समक्ष विषयों से अथवा समिति के सभापति अथवा सदन के प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विषयों से सम्बद्ध नहीं होगा,

(xviii) उसमें उस विषय के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा जो स्पष्ट रूप से अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार का विषय हो,

(xix) उसका संबंध किसी गैर सरकारी व्यक्ति अथवा गैर सरकारी निकाय द्वारा दिए गए किसी वक्तव्य से न होगा,

(xx) उसमें उन व्यक्तियों के चरित्र अथवा आचरण पर आक्षेप नहीं होगा जिनके आचरण पर मूल प्रस्ताव के द्वारा ही आपत्ति की जा सकती हो,

(xxi) उसमें ऐसे नीति के, जो इतनी विस्तीर्ण हो कि वह प्रश्न के उत्तर की परिधि के भीतर न आ सके, प्रश्न नहीं उठायें जायेंगे,

(xxii) वह मुख्यतया एक विभाग से संबंधित होगा,

(xxiii) उसमें ऐसे विषयों के बारे में जो केन्द्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच किसी विषय पर पत्र व्यवहार से संबंधित हो, तथ्यों के अलावा और कोई भी अन्य कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा तथा उत्तर तथ्यात्मक वक्तव्य तक ही सीमित रहेगा,

(xxiv) उसमें साधारणतया ऐसे विषयों के बारे में नहीं पूछा जायेगा जो किसी न्यायिक या अर्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने विचाराधीन हो किन्तु उसमें जांच की प्रक्रिया या विषय या प्रक्रम से संबंधित विषयों की ओर निर्देश दिया जा सकेगा, यदि उससे न्यायाधिकरण या आयोग या जांच पड़ताल द्वारा उस विषय के विचार किए जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना न हो ।

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रश्नों की सूचना का प्रारुप बनाते समय ग्राह्यता की उपरोक्त शर्तों को ध्यान में रखें ।

एस.के.शर्मा
सचिव

356